



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 107/12-1, मुनिकीरेती, दिनांक- 17/07/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पोखार-गेंवली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 6.406 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/33492/2018)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक-8बी०/यू०सी०पी०/०६/129/2018/एफ०सी०/1981, दिनांक-18.12.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है, जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	C/B analysis is submitted in old format.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा C/B analysis नये प्रपत्र पर तैयार कर दिया गया है जो कि तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
2	Instead of justification for locating the project in forest land at para-D in Part-I, only Benefit of road is mentioned.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की मांग का औचित्य संशोधित कर पार्ट-1 के निर्धारित पैरा-D में अपलोड कर दिया गया है।
3	Density mentioned in Part-II is 0.1 for 381 trees in 6.405 ha which does not seem to be correct.	बिन्दु संख्या-03 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में 6.405 हे० वन भूमि में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 381 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः हरियाली का घनत्व संशोधित कर 0.3 अंकित कर दिया गया है तथा घनत्व के अनुसार ही एन०पी०वी० का संशोधित आंकलन तैयार कर तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
4	CA scheme uploaded online is neither clear no C/S by DFO.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा हस्ताक्षरित की गयी CA scheme अपलोड कर दी गयी है।
5.	Tree enumeration list uploaded online is not legible.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में परियोजना प्रभावित होने वाले वृक्षों की सुस्पष्ट सूची पार्ट-2 के अतिरिक्त सूचना विवरण में अपलोड कर दी गयी है।
6.	Part-V is not submitted in Hard copy.	उच्च स्तर से अपेक्षित है।
7.	The State Govt. may comment on the assertion of the user agency online at short narrative that the proposed road would help in the inpection of RF by forest department.	बिन्दु संख्या-07 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग हेतु चयनित संरक्षण प्रभाग के नियंत्रणाधीन भिलंगना रेंज के आरक्षित वन भूमि गेंवली कक्ष सं०-6,7,8 व 9 तथा सौड कक्ष सं०-1 के मध्य से प्रस्तावित है। आरक्षित वन भूमि के बीच से उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग के कर्मचारियों को वन एवं वन्यजीव सुरक्षा तथा निरीक्षण/गस्त हेतु सुविधा प्राप्त होगी।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

संख्या :- / , तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक